



चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल के तहत जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित

आज दिनांक 13.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वाडों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से

सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में थाना बहिलपुरवा पुलिस टीम ने आत्महत्या के करने लिए उकसाने वाले वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.08.2026 को वादी श्याम बिहारी गोस्वामी पुत्र सुदामा प्रसाद निवासी छुहिया थाना मऊगंज जनपद रीवा मध्य प्रदेश ने थाना बहिलपुरवा में तहरीरी सूचना दिया कि उनकी बहन सविता उम्र लगभग 32 वर्ष की शादी लगभग 13 वर्ष पूर्व राकेश पुत्र चन्द्रकेतु गिरी निवासी रामपुर तरौहा थाना बहिलपुरवा के साथ हुई थी। पति राकेश, सविता के साथ पूर्व में भी लड़ाई झगड़ा करता तथा आत्महत्या के लिए उकसाता था। इसी बात से छुब्ध होकर दिनांक 15.08.2026 को बहन सविता ने कुए में कुदकर आत्महत्या कर लिया। इस सूचना पर थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 43/2026 धारा 108 बीएनएस बनाम राकेश पुत्र चन्द्रकेतु निवासी ग्राम रामपुर तरौहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। मृतका सविता के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष बहिलपुरवा को निर्देशित किया गया।

आज दिनांक 17.08.2026 को उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय व उनकी टीम द्वारा मुकदमें के नामजद वाँछित अभियुक्त राकेश पुत्र चन्द्रकेतु उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी ग्राम रामपुर तरौहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय
2. आरक्षी रोशन यादव

(3). आज दिनांक 17.08.2026 को अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व श्री चन्द्रशेखर एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकान्त राय अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली की उपस्थिति में तहसील सभागार मऊ में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। अपर जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जमीन सम्बन्धित विवाद में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि सम्बन्धी मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाये।

(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री शिवआसरे एवं पैरोकार आरक्षी अशोक यादव व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनांक 17.08.2026 को थाना सरधुवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 90/2022 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त शिवरतन प्रजापति पुत्र छोटा प्रजापति निवासी सुरसेन थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि व 1100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।